उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

जन सुनवाई सूचना

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएन लि0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की अवधि के लिए ओबरा (3 X 33 मेगावाट), खारा (3 X 24 मेगावाट) उपरी गंगा कैनाल पर स्थापित जल विद्युत गृह(निरगाजनी–5 मे0वा0, चित्तौड़ा–3 मे0वा0, सलावा–3 मे0वा0, भोला–2.7 मे0वा0 कुल क्षमता 13.7 मे0वा0), बेल्का (2 X 1.5 मेगावाट), बबैल (2 X 1.5 मेगावाट) और शीतला (3 X 1.2 मेगावाट) जल विद्युत गृहों के लिए ए0आर0आर और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 और यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्ते) विनियम, 2019 के प्राविधानों के तहत माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के समक्ष एमवाईटी याचिका प्रस्तुत की गयी है। मा0 आयोग ने 15 मार्च 2022 को याचिका को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि यूपीजेवीएनलि0 जन सुनवाई के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। दिनांक 13 जनवरी, 2023 को जन सुनवाई, माननीय यूपीईआरसी, गोमती नगर, लखनऊ में निर्धारित है। तदनुसार, यूपीजेवीएनलि0 द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी हितधारकों और जनता से सुझाव और आपत्तियॉ आमंत्रित की जा रही है।

याचिका की मुख्य विशेषताऍ नीचे दी गई हैं :–

यूपीजेवीएनलि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए अनंतिम आधार पर एआरआर और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन के लिए याचिका प्रस्तुत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 के लिए एमवाईटी के निर्धारण और एआरआर के अनुमोदन हेतु दाखिल याचिका संख्या 1109/2016 में मा0 नियामक आयोग के आदेश दिनांक 03.07.2018 से प्रारंभिक जीएफए अवशेष लिया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए पूँजीगत व्यय के विरूद्ध ओबरा के लिए रू0 4.91 करोङ तथा खारा के लिए रू0 38.01 करोङ अतिरिक्त पूँजीकरण का दावा किया गया है।

यूपीजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तुत टैरिफ याचिकाओं की प्रतियॉ, अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), यूपीजेवीएनलि0, 12वॉ तल विकासदीप, 22–स्टेशन रोड, लखनऊ के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में रूपये 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र) नकद या डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से यू0पी0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ (पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या–1499010100375, IFSC –PUNB0149920) के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हैं तथा टैरिफ याचिकाऍ यूपीजेवीएनलि0 की वेबसाइट (www.upjvn.org) पर भी उपलब्ध हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, व्यक्ति, संगठन आदि अपने सुझाव और आपत्तियॉ नोटरीकृत हलफनामे के साथ छः प्रतियों (एक मूल + 5 प्रतियॉ) में सचिव, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, गोमती नगर, लखनऊ और दो प्रतियॉ मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), यूपीजेवीएनलि0, 12 वॉ तल; शक्ति भवन, लखनऊ को भेज सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

Public hearing Notice

The UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED (UPJVNL) has submitted the MYT Petition for Approval of ARR and Tariff determination for Obra (3 X 33 MW), Khara (3 X 24 MW), UGC (Nirgazini-5 MW, Chitaura- 3 MW, Salawa-3 MW, Bhola- 2.7 MW Total Capacity 13.7 MW), Belka (2 x 1.5 MW), Babail (2 x1.5 MW) and Sheetla (3 x 1.2 MW) Hydro Power Stations for Control Period FY 2019-20 to FY 2023-24 before the Hon'ble Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) under the provisions of Electricity Act, 2003 and UPERC (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulations, 2019. The Commission has admitted the Petition on March 15, 2022 and directed UPJVNL to publish a Public Notice for public hearing. Public hearing is scheduled on date 13 January 2023 at Hon'ble UPERC, Gomti Nagar Lucknow. Accordingly, UPJVNL is being invited suggestions and objections within 15 days from the date of publication of this public notice from all the stakeholders and public.

The salient features of the Petition are provided below:-

UPJVNL has submitted the Petition for Approval of ARR and Tariff determination on provisional basis for the period FY 2019-20 to FY 2023-24. The Opening GFA balances have been taken from the UPERC order dated 03.07.2018 in Petition No. 1109 of 2016 for determination of MYT and approval of ARR for F.Y.2014-15 to 2018-19. It is also informed that Petitioner has claimed additional capitalization against capital expenditure of Rs. 4.91 Cr. for Obra and Rs. 38.01 Cr. for Khara Power Houses for the period FY 2019-20 to FY 2023-24.

Copies of Tariff Petitions submitted by UPJVNL, may be obtained on any working day from the office of Executive Engineer (Commercial), UPJVNL, 12th Floor, Vikas Deep, 22-Station Road, Lucknow on payment of Rs.1000.00 (Rupees One Thousand Only) through cash or demand Draft/RTGS/NEFT in account of U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd., Lucknow (Punjab National Bank, A/c no.- 1499010100375, IFSC- PUNB0149920). The detailed ARR and Tariff Petitions are also available at the website (www.upjvn.org) of UPJVNL.

All concerned Consumers, Individual, Organizations etc may send their suggestions and objections with notarized affidavit in Six copies (one original + 5 set of copies) to Secretary, U.P. Electricity Regulatory Commission, Gomti Nagar, Lucknow and two copies to the Chief Engineer (O&M), UPJVNL, 12th Floor, Shakti Bhawan Extn,14 Ashok Marg, Lucknow – 226001.